<u>Joint Committee Report in the matter of O.A No. 386 of 2022 Ajay Tiwari Vs State of UP</u>.

In the aforesaid matter, grievance made by Sh. Ajay Tiwari, B-Sarita Dham, Nagla Akhye Rd. (Bodla-Bichpuri road), Thana- Shahganj, Agra that under the rural assembly area of Agra, the road infront of M/s Om Shoe Factory which meets Agra-Jaipur highway via Ambedkar village where more than one dozen colonies are situated which are approved by Agra Development Authority, these colonies are residential and people are living in these colonies. There are more than 50 illegal marble units being operated which used to makes fancy marble items like chakla, belan etc. During cutting grinding of marble stone too much pollution is spreading due to which children's are getting ill and the residents are very upset, people are being forced to migrate due to severe pollution. The complainant requested to take strict legal action against these illegally operated marble units to get rid of this problem as soon as possible.

In the above matter Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass the direction on dated 06.07.2022 in the above O.A no.386/2022 Ajay Tiwari Vs State of UP. The relevant part of the order is as below:-

"In view of the serious averments made in the application, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof by the concerned Statutory 2 Authorities. We accordingly constitute Joint Committee of CPCB, State PCB, and District Magistrate, Agra and direct the same to verify the factual position, look into the grievances of the applicant and take remedial action in accordance with law by following due process within one month from the date of receipt of a copy of this order. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance."

As per the Hon'ble NGT order Joint Committee was formed having member of CPCB, District Administration and State PCB as a Nodal Agency for coordination and compliance.

1. City Magistrate has been nominated by District Magistrate; Agra vide order dated 18.07.2022. **(Annexure-1)**
2. Shri Kamal Kumar, Scientist-D, CPCB Project office, Agra has been nominated as a member on the behalf of CPCB vide letter dated 28.07.2022. **(Annexure-2)**

.......2

3. Regional, Officer, Agra has been nominated as a member on behalf of State Pollution Control Board vide letter dated 02.08.2022. **(Annexure-3)**

The Joint Committee visited the said area on dated 04.08.2022.

At the time of inspection 10 marble units have been found operational in the said area. **(Photographs attached)** in which

(1) M/s The ferry International, 101, Neelam enclave Nagla Akhey was involved in marble stone polishing and packing marble items.

(2) M/s Krishna kumar bhagel Handicraft Items, Nagla Akhey was involved in the production of marble handicraft items.

(3) M/s Nobel Export India, Nagla Akhey was found under construction, for the production of marble handicraft items.

(4) M/s Vikas Stone, Nagla Akhey was involved in the production of marble handicraft items.

(5) M/s R.R Design, Gunjan Vihar, Nagla Akhey was found closed, the neighbors informed that the unit is involved in the production of marble handicraft items.

(6) M/s Rudra Handicraft, Gunjan Vihar, Nagla Akhey was involved in the production of marble handicraft items.

(7) M/s Geetam Singh Stone Cutting, Nagla Akhey was involved in the production of marble handicraft items.

(8) M/s Pawan Chaudhary Stone, Nagla Akhey was involved in the production of marble handicraft items.

(9) M/s Dharmveer Stone, Nagla Akhey was involved in the production of marble handicraft items.

(10) M/s Vipnesh Tyagi Stone, Nagla Akhey was involved in the production of marble handicraft items.

Inspection report of the above said units is being annexed as **(Annexure-4).**

After the joint inspection letter has been sent to Secretary, Agra Development Authority vide letter dt. 22.08.2022 regarding the confirmation of the land use of the said area which falls under Agra Development Authority. **(Annexure-5)**

.......3

Chief Town Planner vide its letter dt. 26.08.2022 informed that as per Agra Master Plan-2021 the said area falls within the limits of Agra Development Authority having residential land use (Minimum density). **(Annexure-6)**

In the pursuance of the inspection report notices has been issued to the units and the copy of the notice has been sent to Vice Chairman, Agra Development Authority to take necessary action as per the order passed by Hon'ble High Court in the W.P No-34957/2003 (Smt. Mithlesh Jain V/s U.P Government & others) on dated 13.08.2003 and Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 65/2019 (Gopeshwar Nath Chaturvedi V/s U. P. Pollution Control Board & Ors.). **(Annexure-7)**

The unit at serial no. (1) M/s The Ferry International submitted its reply on behalf of the notice sent by U.P Pollution Control Board dt. 10.10.2022. He replied that only finished marble handicraft items are being packed in his unit. The marble items is being purchased from different cities of Rajasthan for which he has submitted the tax invoice of purchase items and also attached the documents of the land allotted by U.P State Development Corporation and requested of shifting his unit within 03 months. **(Annexure-8)**

That it is pertinent to mention that Hon'ble High Court vide Order dated 13.08.2003 in W.P No.-34957/2003 (Smt. Mithlesh Jain Vs State of U.P & Ors.) has directed as below :-

"We therefore direct that no commercial or industrial activity will be allowed to be carried on in the area earmarked for residential purpose in the master plan of Agra or in any other city of U.P. If commercial and industrial activities are being carried in any city of U.P in the area earmarked for residential purposes in the master plan of that city, such activity must immediately be stopped by the authorities." **(Annexure-9)**

For the compliance of above order the Chief Secretary of U.P issued instructions fixing the responsibilities of particular departments i.e. Commissioner Housing, U.P Avas Vikas Parishad, Lucknow, Vice Chairman, Development Authorities, U.P & Niyat Pradhikari, Regulated Areas, U.P vide order no.-सी0एस0.89(1)/9.आ–3–2003–62 रिट/2003 dated 10.11.2003 to stop the industrial & commercial activities within residential area of master plan of that city (**Annexure-10).**

That the issue of closure and shifting of units operational in residential areas is related with Development Authorities as directed by Chief Secretary of U.P vide order no.-सी०एस०. 89(1)/9-आ–3–2003–62 रिट/2003 dated 10.11.2003 to stop the industrial & commercial activities within residential area of master plan of that city.

Recommendations:-

It has been observed that in the said area most of the households are engaged in making fancy items from marble, as per the Hon'ble Court's Order no industrial activity can be permitted in the residential area. So these units should be closed by Agra Development Authority.

(Vishwanath Sharma)
Regional Officer(I/c)
UPPCB, Agra

(Kamal Kumar)
Scientist-D,
CPCB Agra

City Magistrate
Agra

Annex-1

टिप्पणी एवं आदेश

जिलाधिकारी महोदय

कृपया पत्रावली में दाहिनी ओर सम्मुख संलग्न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386/2022 (अजय तिवारी बनाम स्टेट आफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 06.07.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण जनपद–आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बोदला–बिचपुरी रोड पर आवासीय कालोनियों के निकट अवैध रूप से संचालित सेलम मार्बल फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहें वायु प्रदूषण से वहाँ के निवासियों को हो रही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या की रोकथाम के सम्बन्ध में है, जिसमें याचिकाकर्ता श्री अजय तिवारी निवासी–बी–सरिता धाम अख्ळे रोड (बोदला–बिचपुरी रोड), थाना–शाहगंज, आगरा के द्वारा मा0 अधिकरण में दिनांक 31.03.2022 को शिकायती पत्र प्रेषित किया गया था। जिसमें मा0 अधिकरण के द्वारा दिनांक 06.07.2022 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया हैः–

"………In view of the serious averments made in the application, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof by the concerned Statutory 2 Authorities. We accordingly constitute Joint Committee of CPCB, State PCB, and District Magistrate, Agra and direct the same to verify the factual position, look into the grievances of the applicant and take remedial action in accordance with law by following due process within one month from the date of receipt of a copy of this order. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.

3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the Ld. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi who may, if necessary, put up the matter before the Bench for further directions. ….."

अतः मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत जिला प्रशासन की ओर से किसी अधिकारी को नामित किया जाना आवश्यक है ताकि मा0 अधिकरण के उक्त आदेशानुपालन में दो माह के अन्दर आख्या मा0 अधिकरण को प्रस्तुत की जा सके।

अतः सहमति की दशा में जिला प्रशासन की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट को नामित करना चाहें।

18/07/22

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

(22)
शिविर कार्यालय पर
प्राप्ति दिनांक 18/7/2022

जिलाधिकारी,
आगरा।

Annex-2

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब...
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
परियोजना कार्यालय, आगरा
PROJECT OFFICE, AGRA
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
सत्यमेव जयते
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA
cpcb

सं0 परि.का.आ. / प्रशा. / NGT Agra 149(ii)-15 / 116 दिनांक 28.07.2022

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सेक्टर 3–बी / 14 आवास विकास,
आगरा

विषय :– माननीय एन.जी.टी. आदेश दिनांक 06.07.2022 ओ.ए. नं. 386 / 2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

माननीय एन.जी.टी. के उपरोक्त आदेश के संबंध में अनुपालन कार्यवाही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिलाधिकारी, आगरा की संयुक्त समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय दिल्ली के अनुमोदन एवं क्षेत्रीय निदेशालय (उ0), लखनऊ के निर्देशानुसार परियोजना कार्यालय, आगरा से श्री कमल कुमार, वैज्ञानिक 'घ' को उपरोक्त प्रायोजन हेतु नामित किया जाता है।

कृपया आपके अवलोकन एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथौपरि

भवदीय

28/7/22
(कमल कुमार)
प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि–सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
- प्रभारी, आई.पी.सी.–V प्रभाग, के0प्र0नि0 बोर्ड, दिल्ली।
- क्षेत्रीय निदेशक, के0प्र0नि0 बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय (उ0), लखनऊ।

(प्रभारी अधिकारी)

परियोजना कार्यालय :
4, धौलपुर हाउस, एम.जी. रोड, आगरा - 282001
4, Dholpur House, M.G. Road, Agra - 282001
फैक्स : 0562-2421568, दूरभाष : 0562-4005877, 2421548

प्रधान कार्यालय / Head Office
'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032
'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar, Shahdara, Delhi-110032
EPABX / दूरभाष / Tel: +91-11-43102030, 22303717
फैक्स / Fax : 0091-11-22304948, 22307078
www.cpcb.nic.in

Annex-3

e-mail

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या-1779277/C-4/NGT-133/2022 दिनांक- 2-8-22

To,

Member Secretary,
Central Pollution Control Board,
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi -110032

Subject: Regarding nomination of member in compliance to Hon'ble NGT Order dated 06.07.2022 in the matter of O.A. No. 386/2022 Ajay Tiwari Vs State of U.P.

Dear Sir,

The Hon'ble NGT has pleased to pass orders in the matter of O.A. No. 386/2022, reg. The operating Para of the order is quoted as below:

--------- 2. In view of the serious averments made in the application, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof by the concerned Statutory Authorities. We accordingly constitute Joint Committee of CPCB, State PCB, and District Magistrate, Agra and direct the same to verify the factual position, look into the grievances of the applicant and take remedial action in accordance with law by following due process within one month from the date of receipt of a copy of this order. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.

3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the Ld. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi who may, if necessary, put up the matter before the Bench for further directions.

The application is disposed of accordingly.

In compliance to the above mentioned order, Dr. Vishwanath Sharma (Mobile No.-7839891805) Regional Officer U.P. Pollution Control Board Agra (E-mail– roagra@uppcb.in) is being nominated as Officer from Uttar Pradesh Pollution Control Board for the Joint Committee. It is kindly requested to nominate the officer from CPCB for the Joint Committee.

Yours Sincerely

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary

Copy to: Following for information and necessary action;

1- District Magistrate, Agra
2- Regional Officer, U.P. Pollution Control Board Agra.

Member Secretary

205/E
ADM City R.O. PCB
जिलाधिकारी आगरा 02/8/2022
1273
RO, PCB
ADM City 3/8/22
JA File it 8/8/22

Annex-4

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386/2022 अजय कुमार तिवारी, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेशों के कम में निरीक्षण आख्या–

आपके आदेशानुसार ओम शू फैक्टरी के सामने स्थित नगला अक्खे, बोदला बिचपुरी रोड़, आगरा के आवासीय क्षेत्र में संचालित स्टोन इकाईयों का निरीक्षण कार्यालय के अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 17.08.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैं–

1. **मै0 आर0आर0 डिजायन, गुंजन विहार बोदला, बिचपुरी रोड़, आगरा:–** निरीक्षण के समय इकाई बन्द पायी गयी, पडोसियों द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में पत्थर कटिंग का कार्य किया जाता है। संचालक रवि (मो0–8899076441) है। पत्थर कटिंग से वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय इकाई संचालन सम्बन्धी किसी भी विभाग के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

2. **मै0 रूद्रहैण्डी काफ्ट, गुजंन विहार बोदला, बिचपुरी रोड़, आगरा:–** निरीक्षण के समय इकाई बन्द पायी गयी, इकाई संचालक श्री पवन अर्फ विक्की (मो0–9997557447) उपस्थित थे। निरीक्षण की समय संचालक द्वारा किसी भी विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्थर कटिंग की डस्ट से वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय इकाई संचालन सम्बन्धी किसी भी विभाग के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

3. **मै0 द फेरी इन्टरनेशनल, 101 नीलम एन्क्लेव, बोदला, बिचपुरी रोड़, आगरा:–** निरीक्षण के समय इकाई में पैकिंग एवं 02 नग मशीनों द्वारा मार्बल स्टोन आइटमों पर पॉलिस/फिनिसिंग कार्य किया जाता पाया गया। मार्बल स्टोन आइटमों पर पॉलिस/फिनिसिंग का कार्य आदि से वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। इकाई संचालक श्री रोहित गोयल (मो0–9557940420) निरीक्षण के समय उपस्थित नहीं थे। निरीक्षण के समय इकाई संचालन सम्बन्धी किसी भी विभाग के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

4. **मै0 गीतम सिंह, स्टोन कटिंग, अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड़, आगरा:–** निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी, पत्थर कटिंग/फिनिसिंग आदि का कार्य किया जाता पाया गया। पत्थर कटिंग की डस्ट से वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री विशाल (मो0–9368498207) व श्री मुकेश वर्कर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय पर किसी भी विभाग के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. **मै0 पवन चौधरी, स्टोन, अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड़, आगरा:–** निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी, वर्करों द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई संचालक श्री पवन चौधरी है। पत्थर कटिंग की डस्ट से वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय किसी भी विभाग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. **मै0 विकास स्टोन, नीलम एन्क्लेव, बोदला, बिचपुरी रोड़, आगरा:–** निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयीं, पत्थर कटिंग का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता पाया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि मो0 उस्मान (मो0–9027733935) उपस्थित थे। निरीक्षण के समय प्रतिनिधि द्वारा किसी भी विभाग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्थर कटिंग की डस्ट से वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।

7. **मै0 धर्मवीर स्टोन इकाई, अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड़, आगरा:–** निरीक्षण के समय इकाई बन्द पायी गयी। इकाई में पत्थर कटिंग/फिनिसिंग कर पत्थर के आइटम बनाये जाते है। आइटमों के निर्माण हेतु पत्थर रखे पाये गये। इकाई संचालन से वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय पडोसियों द्वारा इकाई संचालक का नाम श्री धर्मवीर बताया गया। मौके पर किसी भी विभाग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

कृ0प0प0

8. मै0 कृष्ण कुमार बघेल, स्टोन इकाई, अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड़, आगरा:– निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। इकाई में पत्थर कटिंग/फिनिसिंग कर पत्थर के आइटम (कड़ियाँ आदि) बनाये जाते पाये गये। इकाई संचालन से वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय इकाई संचालक श्री कृष्ण कुमार बघेल (मो0–9808810288) उपस्थित थे। मौके पर किसी भी विभाग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. मै0 विपनेश त्यागी, स्टोन इकाई, अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड़, आगरा:– निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। इकाई में पत्थर कटिंग/फिनिसिंग कर पत्थर के आइटम बनाये जाते पाये गये। इकाई संचालन से वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय इकाई संचालक श्री विपनेश त्यागी (मो0–7895472571) उपस्थित थे। मौके पर किसी भी विभाग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

10. नोबल एक्सपोर्ट इण्डिया, नियर मयूर गैस सर्विस नगला अक्खे, आगरा:– निरीक्षण के समय मै0 नोबल एक्सपोर्ट इण्डिया, मार्बल हैडीक्राफ्ट आइटम बनाने की इकाई का कंस्ट्रक्शन कार्य किया जा रहा था।

अवगत कराना है कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एन0जी0टी0–613/81–7–2019–152 (रिट)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 28.11.2019 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त मा0 न्यायालयों के आदेशों के दृष्टिगत आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में इकाईयों एवं आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को पत्र प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

01/10/22
(सुनील कुमार)
अनु0 सहा0

01/10/22
(श्रवण कुमार)
प्रयो0 सहा0

01/10/22
(एस0डी0सिंह)
अनु0 सहा0

सहा0 वैज्ञा0 अधि0/क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

01/10/22
ASO

1/10/22

This PC/Local Disk-(c)/Ksh sir/Letter

e-mail; roagra@uppcb.in

Annex - 5

क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः–557/ओजी–680/2022 दिनांकः– 22 /08/2022

सेवा में,

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386/2022 (अजय तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 06.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–386/2022 (अजय तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में दिनांक 06.07.2022 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं–

"......... In view of the serious averments made in the application, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis there of by the concerned Statutory 2 Authorities. We accordingly constitute Joint Committee of CPCB, State PCB, and District Magistrate, Agra and direct the same to verify the factual position, look into the grievances of the applicant and taken remedial action in accordance with law by following due process within one month from the date of receipt of a copy of this order. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.

3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the Ld. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi who may, if necessary, put up the matter before the Bench for further directions......"

अतः मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि ओम शू फैक्ट्री के सामने स्थित अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड़, आगरा विकास प्राधिकरण आगरा की सीमान्तर्गत स्थित है अथवा नहीं। यदि स्थित है तो उक्त स्थल का भू–उपयोग के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें। जिससे कि मा0 अधिकरण में आख्या समयबद्ध रूप से दाखिल की जा सके।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. प्रभारी अधिकारी, केन्दीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–04), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

22/8/22

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

This PC/Local Disk-(c)/Ksh&sd sir/Letter

Niyojan ADA → 26/08/22
Annex-6

आ वि प्रा
आगरा विकास प्राधिकरण

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

पत्र सं0 : 668 /डी/मु.न.नि./22 **दिनांक : 26/08/2022**

विषयः मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386/2022 (अजय कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 06.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–557/ओजी–680/2022 दिनांक 22.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओम शू फैक्ट्री के सामने स्थित अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड, आगरा विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत स्थित है अथवा नहीं। यदि स्थित है तो उक्त स्थल के भू–उपयोग की जानकारी से अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि आगरा महायोजना–2021 के अनुसार बोदला–बिचपुरी मार्ग पर स्थित ओम शू फैक्ट्री के सामने स्थित भूमि आगरा विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमान्तर्गत है। आगरा महायोजना–2021 के अनुसार ओम शू फैक्ट्री के सामने 45 मी0 चौड़ा महायोजना मार्ग स्थित है। उक्त मार्ग के दूसरी तरफ का भू–उपयोग आवासीय (न्यून घनत्व) के अन्तर्गत है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय
25/8/2022
मुख्य नगर नियोजक

प्रतिलिपि –
1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ।
2. सचिव महोदया, आ0वि0प्रा0, आगरा को अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक

JA
Filed
26/8/22

Annex-7

e-mail; roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः–809/84-680/2022 दिनांकः–20/10/2022

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 विपनेश त्यागी, स्टोन इकाई,
अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड़,
आगरा।

विषय– आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386/2022 अजय कुमार तिवारी, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेशों के कम में इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 04.08.2022 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। आपकी इकाई में मार्बल हैण्डीक्राफ्ट आइटम बनाने एवं पॉलिस का कार्य किया जाता है। मार्बल कटिंग एवं घिसाई से आस–पास के निवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वभाविक हैं। इकाई महानगर के आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित/संचालित है। मार्बल स्टोन कटिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत किये गये उद्योगों की श्रेणी के अनुसार ग्रीन श्रेणी में अच्छादित है। निरीक्षण के समय आप द्वारा किसी विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।

अवगत हो कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0 – ӡ9(1)/9–आ–3–2003–62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एन0जी0टी0–613/81–7–2019–152 (रिट)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 28.11.2019 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी इकाई का संचालन किसी भी दशा में आवासीय क्षेत्र में न करें। इकाई को औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करें। अन्यथा की दशा में आपकी इकाई के विरूद्ध की गई किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इसके उत्तरदायित्व पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)
o/c

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाई पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

20/10/22

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

o/c ASO

This PC/Local Disk-(c)/Ksh sir/Letter

Annex-7

e-mail; roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः–808 /04-680/2022 दिनांकः–20 /10/2022

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 धर्मवीर स्टोन,
अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड़,
आगरा।

विषय– आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386/2022 अजय कुमार तिवारी, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेशों के क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 04.08.2022 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आपकी इकाई बन्द पायी गई किन्तु पड़ोसियों द्वारा अवगत कराया गया कि आपकी इकाई में मार्बल हैण्डीकाफ्ट आइटम बनाने का कार्य किया जाता है। मार्बल कटिंग एवं घिसाई से आस–पास के निवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वभाविक हैं। इकाई महानगर के आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित/संचालित है। मार्बल स्टोन कटिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत किये गये उद्योगों की श्रेणी के अनुसार ग्रीन श्रेणी में अच्छादित है।

अवगत हो कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0 –89(1)/9–आ–3–2003–62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एन0जी0टी0–613/81–7–2019–152 (रिट)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 28.11.2019 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी इकाई का संचालन किसी भी दशा में आवासीय क्षेत्र में न करें। इकाई को औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करें। अन्यथा की दशा में आपकी इकाई के विरूद्ध की गई किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इसके उत्तरदायित्व पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाई पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

20/10/22

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

O/C AEO

Annex-7

e-mail; roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः- 804/ 84-680/2022 दिनांकः- 22 /10/2022

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 पवन चौधरी, स्टोन,
अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड़,
आगरा।

विषय– आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386/2022 अजय कुमार तिवारी, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेशों के कम में इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 04.08.2022 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। आपकी इकाई में मार्बल हैण्डीकाफ्ट आइटम बनाने एवं पॉलिस का कार्य किया जाता है। मार्बल कटिंग एवं घिसाई से आस–पास के निवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वभाविक हैं। इकाई महानगर के आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित/संचालित है। मार्बल स्टोन कटिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत किये गये उद्योगों की श्रेणी के अनुसार ग्रीन श्रेणी में अच्छादित है। निरीक्षण के समय आप द्वारा किसी विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।

अवगत हो कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुकम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0 –89(1)/9–आ–3–2003–62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एन0जी0टी0–613/81–7–2019–152 (रिट)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 28.11.2019 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी इकाई का संचालन किसी भी दशा में आवासीय क्षेत्र में न करें। इकाई को औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करें। अन्यथा की दशा में आपकी इकाई के विरूद्ध की गई किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इसके उत्तरदायित्व पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाई पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

20/10/22

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

This PC/Local Disk-(c)/Ksh sir/Letter

Annex-7

e-mail; roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः-806 /84-689/2022 दिनांकः- 20 /10/2022

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 गीतम सिंह, स्टोन कटिंग,
अक्खे नगला, बोदला, बिचपुरी रोड़,
आगरा।

विषय– आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386/2022 अजय कुमार तिवारी, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेशों के कम में इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 04.08.2022 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। आपकी इकाई में मार्बल हैण्डीक्राफ्ट आइटम बनाने एवं पॉलिस का कार्य किया जाता है। मार्बल कटिंग एवं घिसाई से आस–पास के निवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वभाविक हैं। इकाई महानगर के आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित/संचालित है। मार्बल स्टोन कटिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत किये गये उद्योगों की श्रेणी के अनुसार ग्रीन श्रेणी में अच्छादित है। निरीक्षण के समय आप द्वारा किसी विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।

अवगत हो कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एन0जी0टी0–613/81–7–2019–152 (रिट)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 28.11.2019 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी इकाई का संचालन किसी भी दशा में आवासीय क्षेत्र में न करें। इकाई को औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करें। अन्यथा की दशा में आपकी इकाई के विरूद्ध की गई किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इसके उत्तरदायित्व पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाई पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

20/10/22

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

This PC/Local Disk-(c)/Ksh sir/Letter

Annex-7

e-mail; roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः– 805 / 05-680 / 2022 दिनांकः– 20 / 10 / 2022

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 रूद्रहैण्डी काफ्ट,
गुंजन विहार बोदला, बिचपुरी रोड़,
आगरा।

विषय– आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386 / 2022 अजय कुमार तिवारी, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेशों के कम में इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 04.08.2022 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री पवन उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में मार्बल हैण्डीकाफ्ट आइटम बनाने का कार्य किया जाता है। मार्बल कटिंग एवं घिसाई से आस–पास के निवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वभाविक हैं। इकाई महानगर के आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित / संचालित है। मार्बल स्टोन कटिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत किये गये उद्योगों की श्रेणी के अनुसार ग्रीन श्रेणी में अच्छादित है। निरीक्षण के समय आप द्वारा किसी विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।

अवगत हो कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक / व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957 / 2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुकम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0 – 89(1) / 9–आ–3–2003–62रिट / 2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों / विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना / जोनल डेवलपमेन्ट प्लान / सेक्टर प्लान / ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग / स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एन0जी0टी0–613 / 81–7–2019–152 (रिट) / 2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 28.11.2019 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–65 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने / यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी इकाई का संचालन किसी भी दशा में आवासीय क्षेत्र में न करें। इकाई को औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति / सहमति प्राप्त करें। अन्यथा की दशा में आपकी इकाई के विरूद्ध की गई किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इसके उत्तरदायित्व पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाई पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

20/10/22

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

Annex-7

e-mail; roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः– 804/04-680/2022 दिनांकः– 20 /10/2022

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 आर0आर0 डिजायन,
गुंजन विहार बोदला, बिचपुरी रोड़,
आगरा।

विषय– आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386/2022 अजय कुमार तिवारी, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेशों के क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 04.08.2022 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आपकी इकाई बन्द पायी गई किन्तु पड़ोसियों द्वारा अवगत कराया गया कि आपकी इकाई में मार्बल हैण्डीकाफ्ट आइटम बनाने का कार्य किया जाता है। मार्बल कटिंग एवं घिसाई से आस–पास के निवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वभाविक हैं। इकाई महानगर के आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित/संचालित है। मार्बल स्टोन कटिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत किये गये उद्योगों की श्रेणी के अनुसार ग्रीन श्रेणी में अच्छादित है।

अवगत हो कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एन0जी0टी0–613/81–7–2019–152 (रिट)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 28.11.2019 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी इकाई का संचालन किसी भी दशा में आवासीय क्षेत्र में न करें। इकाई को औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करें। अन्यथा की दशा में आपकी इकाई के विरूद्ध की गई किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इसके उत्तरदायित्व पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

O/C

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाई पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

20/10/22

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

O/C EA AE

This PC/Local Disk-(c)/Ksh sir/Letter

Annex-7

e-mail; roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः– 803 / 84-680 / 2022 दिनांकः– 20 / 10 / 2022

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 विकास, स्टोन,
नीलम एन्क्लेव, बोदला, बिचपुरी रोड़,
आगरा।

विषय– आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386 / 2022 अजय कुमार तिवारी, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेशों के कम में इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 04.08.2022 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। आपकी इकाई में मार्बल हैण्डीकाफ्ट आइटम बनाने एवं पॉलिस का कार्य किया जाता है। मार्बल कटिंग एवं घिसाई से आस–पास के निवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वभाविक हैं। इकाई महानगर के आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित / संचालित है। मार्बल स्टोन कटिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत किये गये उद्योगों की श्रेणी के अनुसार ग्रीन श्रेणी में अच्छादित है। निरीक्षण के समय आप द्वारा किसी विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।

अवगत हो कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक / व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957 / 2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुकम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0 –89(1) / 9–आ–3–2003–62रिट / 2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों / विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना / जोनल डेवलपमेन्ट प्लान / सेक्टर प्लान / ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग / स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एन0जी0टी0–613 / 81–7–2019–152 (रिट) / 2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 28.11.2019 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–65 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने / यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी इकाई का संचालन किसी भी दशा में आवासीय क्षेत्र में न करें। इकाई को औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति / सहमति प्राप्त करें। अन्यथा की दशा में आपकी इकाई के विरूद्ध की गई किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इसके उत्तरदायित्व पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाई पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

20/10/22
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

This PC/Local Disk-(c)/Ksh sir/Letter

Annex-7

e-mail; roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः– 741 /06-680 /2022 दिनांकः– 12 /10/2022

पंजीकृत

सेवा में,

श्री नोबल एक्सपोर्ट इण्डिया,
नियर मयूर गैस सर्विस नगला अक्खे,
ग्राम–पथौली, आगरा।

विषय– आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386/2022 अजय कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेशों के क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 04.08.2022 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया एवं पुनः दिनांक 11.10.2022 को आपकी इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आपकी इकाई के प्रतिनिधि के रूप में मुनीम उपस्थित थे। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री नितिन द्वारा मार्बल हैण्डीक्राफ्ट आइटम बनाने के लिये कन्स्ट्रक्शन का कार्य कराया जा रहा है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा किसी विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। मार्बल स्टोन कटिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत किये गये उद्योगों की श्रेणी के अनुसार ग्रीन श्रेणी में अच्छादित है, जिसकी स्थापना/संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। आप द्वारा अपनी इकाई की स्थापना आवासीय क्षेत्र में की जा रही है, जोकि नियमानुसार अनुमन्य नहीं है।

अवगत हो कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एन0जी0टी0–613/81–7–2019–152 (रिट)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 28.11.2019 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी इकाई की स्थापना/संचालन किसी भी दशा में आवासीय क्षेत्र में न करें तथा इकाई को औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करें। अन्यथा की दशा में आपकी इकाई के विरूद्ध की गई किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इसके उत्तरदायित्व पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाई पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

12/10/22

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

Annex-7

e-mail; roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः–740/06-680/2022 दिनांकः– 12 /10/2022

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 द फेरी इण्टरनेशनल,
101, नीलम एन्क्लेव अक्खे नगला,
बोदला बिचपुरी रोड़, आगरा।

विषय– आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करें। अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–386/2022 अजय कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेशों के क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 04.08.2022 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आपकी इकाई में मार्बल हैण्डीक्राफ्ट आइटम पर पॉलिस का कार्य किया जाता पाया गया। निरीक्षण के समय मार्बल स्टोन पॉलिशिंग की 02 नग मशीन स्थापित/संचालित पायी गयी। निरीक्षण के समय इकाई में मार्बल स्टोन पॉलिशिंग एवं मार्बल घिसाई से धूल उड़ती पायी गयी तथा मार्बल स्टोन पॉलिस एवं घिसाई से आस–पास के निवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वभाविक हैं। इकाई महानगर के आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित है। आपकी इकाई को मैं0 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा द्वारा 07 किलो वाट का विद्युत कनेक्शन मी0 नं0–14643266 निर्गत है। मार्बल स्टोन कटिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत किये गये उद्योगों की श्रेणी के अनुसार ग्रीन श्रेणी में अच्छादित है। निरीक्षण के समय आप द्वारा किसी विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।

अवगत हो कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0 –89(1)/9–आ–3–2003–62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–एन0जी0टी0–613/81–7–2019–152 (रिट)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 28.11.2019 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी इकाई का संचालन किसी भी दशा में आवासीय क्षेत्र में न करें। इकाई को औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करें। अन्यथा की दशा में आपकी इकाई के विरूद्ध की गई किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इसके उत्तरदायित्व पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाई पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

12/10/22

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

This PC/Local Disk-(c)/Ksh sir/Letter

Annex-7

e-mail; roagra@uppcb.in

UPPCB

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः- 724/04-680/2022 दिनांकः- 10 /10/2022

सेवा में,

पंजीकृत

श्री कृष्ण कुमार बघेल,
हैण्डीक्राफ्ट आइटम,
अक्खे नगला, बोदला बिचपुरी रोड़, आगरा।

विषय- **आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ गृहण करें। अवगत हों कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-386/2022 अजय कुमार तिवारी, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.07.2022 को पारित आदेशों के क्रम में इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 04.08.2022 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आपकी इकाई में मार्बल हैण्डीक्राफ्ट आइटम बनाने का कार्य किया जाता पाया गया। निरीक्षण के समय मार्बल स्टोन कटिंग की 01 नग कटर (अड्डी) एवं 06 नग ग्राइडिंग एवं 03 नग ड्रिल मशीन स्थापित/संचालित पायी गयी। निरीक्षण के समय इकाई में मार्बल कटिंग एवं मार्बल घिसाई से धूल उड़ती पायी गयी तथा परिसर में इकाई विस्तारीकरण का कार्य किया जाता पाया गया। मार्बल कटिंग एवं घिसाई से आस-पास के निवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वभाविक हैं। इकाई महानगर के आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित है। आपकी इकाई को मै0 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा द्वारा 18 किलो वाट का विद्युत कनेक्शन मी0 नं0-1198410 निर्गत है। मार्बल स्टोन कटिंग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत किये गये उद्योगों की श्रेणी के अनुसार ग्रीन श्रेणी में अच्छादित है। निरीक्षण के समय आप द्वारा किसी विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।

अवगत हो कि आवासीय भू-उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0-34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-सी0एस0-89(1)/9-आ-3-2003-62रिट/2003, दिनांक 10.11.2003 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में निर्धारित भू-उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-एन0जी0टी0-613/81-7-2019-152 (रिट)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, लखनऊ दिनांक 28.11.2019 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0-65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी इकाई का संचालन किसी भी दशा में आवासीय क्षेत्र में न करें। इकाई को अनुमन्य क्षेत्र में स्थापित करने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करें। अन्यथा की दशा में आपकी इकाई के विरूद्ध की गई किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इसके उत्तरदायित्व पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः-

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाई पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

10/10/22
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

This PC/Local Disk-(c)/Ksh sir/Letter

11/11/22 Annex-8

The Ferry International

Manufacturers & Exporters of All Types of Stone Handicraft Products

सेवा में,

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं०-14, सेक्टर-3बी, आवास विकास कॉलोनी,

सिकन्दरा योजना, आगरां

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-746/14-680/2022 दिनांक 10.10.2022 पंजीकृत डाक द्वारा मैसर्स दा फेरी इन्टरनेशनल, 107, नीलम एन्क्लेव, अक्खे का नगला, बोदला-बिचपुरी रोड, आगरा को प्रेषित नोटिस का जवाब निम्नवत् है :-

1. यह कि हमारे द्वारा 107, नीलम एन्क्लेव, नगला अक्खे पर मार्बल हैण्डीक्राफ्ट्स के तैयार वस्तुओं की पैकिंग का कार्य किया जाता है, जिसके लिए दो नग पॉलिस मशीन लगायी गयीं थीं। उक्त स्थान पर किसी भी प्रकार के मार्बल आइटम तैयार नहीं किये जाते हैं न ही मार्बल स्टोन की कटाई या घिसाई की जाती है।
2. यह कि हमारे द्वारा पूर्व में लगायी गयी 2 नग पॉलिस मशीनों को भी हटा दिया गया है।
3. यह कि उक्त स्थल पर मार्बल हैण्डीक्राफ्ट आइटम को पैक कर रखा जाता है और निर्यात किया जाता है।
4. यह कि हमारे द्वारा मार्बल हैण्डीक्राफ्ट के सारे आइटम किशनगढ़, रूपनगढ़, जयपुर (राजस्थान) से बनवाये जाते हैं, जिसकी पुष्टि हेतु बिल पत्र के साथ संलग्न हैं।

ADMN. OFFICE :- 27/147, NIHAL NIKETAN, ASHOK NAGAR, AGRA-282002
FACTORY : 107, NEELAM ENCLAVE, BODLA-BICHPURI ROAD, AGRA-282010
Phone : 9319076441, 9557940420 | E-mail : goyal_rohit@ferryinternational.net
Website : www.theferryinternational.com

51 Harsh-13 - PM7

The Ferry International

Manufacturers & Exporters of All Types of Stone Handicraft Products

5. यह कि हमारे द्वारा ई.पी.आई.पी., यू.पी.एस.आई.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र में अपने कार्य हेतु प्लॉट संख्या–सी–73, सी–74 क्रय कर लिया गये हैं, जहाँ शीघ्र ही हमारे द्वारा पैकिंग के काम को शिफ्ट कर लिया जायेगा। (प्लॉट के पेपर संलग्न हैं)
6. यह कि हमारे द्वारा पर्यावरण के संरक्षण हेतु सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अत: महोदय से अनुरोध है कि शिफ्टिंग हेतु तीन माह का समय देने का कष्ट करें।

संलग्नक –

1. सामान खरीदने के बिलों की प्रति।
2. एलॉटमेंन्ट लैटर ई.पी.आई.पी. शास्त्रीपुरम् प्लॉट।

दिनांक : 01.11.2022

For The Ferry International
प्रार्थी
Proprietor

मैसर्स दा फेरी इन्टरनेशनल

101, नीलम एन्क्लेव, अक्खे का नगला,

बोदला–बिचपुरी रोड, आगरा।

ADMN. OFFICE :- 27/147, NIHAL NIKETAN, ASHOK NAGAR, AGRA-282002
FACTORY : 107, NEELAM ENCLAVE, BODLA-BICHPURI ROAD, AGRA-282010
Phone : 9319076441, 9557940420 | E-mail : goyal_rohit@ferryinternational.net
Website : www.theferryinternational.com

The Ferry International

Manufacturers & Exporters of All Types of Stone Handicraft Products

दिनांक 14/09/2022

सेवा में ,

श्रीमान् क्षेत्रीय प्रबंधक

यूपीएसआईडीए

ईपीआईपी,सिकंदरा ,आगरा –282007

विषय :– <u>भूखण्ड सं0 सी0–73 ,एवं सी0 –74,आद्योगिक क्षेत्र ईपीआईपी,सिकंदरा आगरा को रेक्टिफिकेशन डीड कराने के सम्बन्ध में</u> :–

संदर्भ :– <u>SER 20210605/1029/30340/16392/UPSIDA/RMA/C-73/C-74/EPIP</u>

महोदय ,

निवेदन है कि प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड सं0 सी–73 एवं सी–74 आद्योगिक क्षेत्र ईपीआईपी सिकंदरा ,आगरा का पत्रांक सं0 <u>SER 20210605/1029/30340/16392/UPSIDA/RMA/C-73/C-74/EPIP</u> दिनांक 09–09–2022 को पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ जिससे हम पूर्ण रूप से सहमत है । जिसका रेक्टिफिकेशन डीड कराने को कहा है जिसे में कराने के लिये तैयार हूँ ।

उक्त भूखण्ड का रेक्टिफिकेशन डीड हेतु निम्न आवश्यक अभिलेख इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर जमा कर रहा हूँ ।

1– Article 35 E-Stamp No-IN-UP 94275462020550U Rs.31,000/-Date 13-09-2022

2- Article 35 E-Stamp No-IN-UP 94270795131592U Rs.100/-Date 13-09-2022

3– पैन एण्ड आधार कार्ड

4– फोटो 6

5– उद्योग आधार

6– बैंक प्रमाणित हस्ताक्षर

अतः आपसे अनुरोध है कि भूखण्ड सं0 सी–73 एवं सी–74 आद्योगिक क्षेत्र ईपीआईपी सिकंदरा ,आगरा की रेक्टिफिकेशन डीड मेरे पक्ष में करने की कृपा करें ।

प्रार्थी

For The Ferry International

Proprietor

14/9/22

रोहित गोयल प्रोपराईटर

M/s The Ferry International

पुत्र श्री अमीर चंद गोयल

निवासी जी–1 ,परस पर्ल्स खतैना रोड लोहामण्डी

आगरा

ADMN. OFFICE :- 27/147, NIHAL NIKETAN, ASHOK NAGAR, AGRA-282002
FACTORY : 107, NEELAM ENCLAVE, BODLA-BICHPURI ROAD, AGRA-282010
Phone : 9319076441, 9557940420 | E-mail : goyal_rohit@ferryinternational.net
Website : www.theferryinternational.com

.P. State Industrial
Development Corporation
Ltd.

UPSIDA

Regional Office, Agra
UPSIDC
EPIP,Shastripuram
Agra
Tel No. : 0562-2641924
Email ID: rmagra@upsidc.com
Website: www.onlineupsidc.com

Ref.No:SER20201123/4/2423/9516**/SIDC-IA/**EPIP Agra

Date:28/12/2020

To,

Rohit Goyal S/o Shri Amir Chand Goyal
G-1, Paras Peari Apartment, Khataina Road, Loha Mandi, Agra-282002 (U.P.)

Subject:- Permission for Transfer of Plot No C-74 in the Industrial Area EPIP Agra

Dear Sir/Ma'am,

Please refer to application of SHRI KAMAL KUMARdated 24/11/2020 regarding transfer of above noted plot in your favour to setting up Handicraft Items .

In this connection, we are pleased to permit the aforesaid transfer subject to payment of transfer levy @ 10.00 % of current rate Rs.6600 per square meter on plot area of C-74 in the Industrial Area EPIP Agrawhich is 600 square meter on the following terms and conditions:-

1. You shall clear our total balance dues amounting to Rs. 0 (towards Premium Rs0 Interest of Premium Rs0 , Maintenance Charges Rs0 , Interest on Maintenance Charges Rs0 and Lease Rent Rs.0 ,GST on Lease Rent Rs0, Time Extension Fee Rs. 0, Interest on Time Extension Fee Rs.0) within 30 days from the date of this letter.
2. In case deposits has been made by ex-allottee against the plot, the same will be adjusted first towards Interest and Use and Occupation Charges/Lease Rent upto date of payment and balance if any, towards premium. In case a balance payability is found after adjustment as above, the same shall be payable by you.
3. Ex-allottee shall submit an affidavit to the effect that entire assets/structures whatsoever is existing on the plot, stands duly transferred in your favour and that he shall never claim any amount /compensation etc. in this regard from the Authority/Corporation .You will also have to submit an affidavit in confirmation of transfer of assets/structures in your favour with the clear stipulation that in the event of any dispute in connection with transfer you shall indemnify UPSIDC/UPSIDA against any claim/ litigation arising out of above transfer.
4. The existing allotment/transfer dated 30/08/2008 Agreement dated N/A Possession Memo dated 14/12/2009 and Lease Deed Executed dated21/11/2009 shall be surrendered by ex-allottee in favour of the UPSIDC/UPSIDA along with the possession of above noted plot before execution of fresh lease deed.
5. You will have to submit Non-Judicial Stamp Papers/ Bank Guarantee as per norms purchased from Distt.Treasury, AGRA/ Bank for execution of lease deed of plot within 60 days form the date of this letter.
6. Transfer of vacant and untilized plot shall not be allowed.
7. In case of any demand of Stamp Papers is made in respect of transfer of this plot by Government of U.P. the same shall be borne by you.
8. You may either submit Sale deed for structure situated over the plot or submit additional Stamps/ Bank Guarantee towards the cost of constructions/ machinery on the plot.within 30 days from the date of this letter alongwith stamps as mentioned in above point number 6.
9. **LEASE DEED:-**
   You shall have to get lease deed executed in your favour on new terms & conditions within 60 days from the date of issuance of this letter by submitting stamps mentioned above alongwith other documents. You will have to submit NOC of pollution Control Board for proposed manufacturing item before execution of lease deed.

Lease Period shall be allowed to you for the remaining period of orginally allowed lease i.e. 90 years from 27/02/2002

11. **POSSESSION FORM:-**
    You will take the possession of the plot just after execution of Lease Deed or latest by 01 month from the date of execution of Lease Deed
12. **BUILDING PLAN APPROVAL:-**
    Submit building plan within 1 month form the date of possession. If no building plan is submitted by you within 3 months, the allotment will be cancelled as per rules.
13. You shall establish unit on the plot covering minimum 30% of plot area within a period not exceeding 1 years. Following documents shall have to be submitted as a proof of production :-
    - Udyog Aadhar Showing the plot no and date of stating production
    - GST Registration and Tax Returns/Assessment Orders
    - Meter Sealing Certificate and Electricity Bills of First 3 months.
    - Sale and Purchase Bill of raw material and finished goods for first 3 months along with purchase of Machinery Bills.
14. Allotment /Transfer/ Lease Term shall be liable to be terminated if any of the activities mentioned at 10, 12, 13, and 14 is not executed/ completed within the time stipulated.
15. You shall also deposit within 30 days of date of demand any dues communicated by the UPSIDA from time to time such recurring fee in nature of Service and/ or Maintenance Charges of whatever description (including charges for supply of water, of expenses of maintenance or roads, culverts, drains, parks etc. and other common facilities and services) as may form time to time be determined by Authority/Corporation and in case of default you shall liable to pay interest @ 14 p.a. on the amount due.
16. You shall be liable to pay Lease Rent @Rs.1/- per sqm.per year for period of initial 1st 30 years, @Rs.2.5/- per sqm.per year for the next 30 years after expiry of 1st 30 years and @ Rs5/- per sqm. per year for next after expiry of next 30 years.
17. You shall not be allowed to reconstitute/ change project on/ sublet/ transfer/ subdivide/ amalgamate/ mortgage/ change partners or shareholders without prior approval in writing by this Authority/Corporation. Any such act without due permission may result in cancellation of the allotment /transfer /lease.
18. You shall abide by all the relevant Government rules and norms corresponding to the project you are intending to set up and shall be required to seek necessary permissions before setting up the unit. You shall further indemnify the Authority/Corporation against any such violation/ breach committed by you.
19. The transfer/ allotment / lease shall become null and void in case it is revealed subsequently that the same was obtained by you by submitting false, fictitious and/ or fabricated documents facts.
20. The above offer shall be valid till the expiry date mentioned in the letter or 30 days from date of issue of this letter, whichever is earlier. If after expiry of the offer the applicant requests for extension of offer and the reasons for the default submitted by him/her are found just and proper to the satisfaction of Management and the offer is extended, by UPSIDA interest shall become payable@ 14 % from the date of this letter. However, if the prevailing rate of the alloted area changes or due to passage of time, percentage of levy changes, then the offer can only be renewed on new allotment rates/levy only.
21. You will mention in the postal address or your corresponding letters invariably the name of UPSIDC/UPSIDAIndustrial Area EPIP Agra
22. Additional clause/s as mentioned in attached page shall also remain part of terms of transfer & binding on you

S.NO	List Of Additional Clauses
1	You will have to follow term and conditions regarding EPIP Agra

Kindly confirm your acceptance in writing to above terms and conditions within 07 days form the date of this letter, failing which this offer shall stand automatically withdrawn.

Your's faithfully,

VINOD KUMAR

(Vinod Kumar)
Regional Manager

Ref. No SER20201123/4/2423/9516 /SIDC-IA EPIP Agra Plot No:- C-74 Dated : 28/12/2020

Copy to following for information and necessary action please:-
1. Incharge (Indl. Area), A-1/4, UPSIDC Complex , Lakhanpur , Kanpur 208024 (U.P.)
2. Deputy Commissioner Industries, District Industries Center, AGRA (U.P.).

SHRI KAMAL KUMAR R/o:-10, NEW RAJA KI MANDI, AGRA

(Vinod Kumar)
Regional Manager

U.P. STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION Ltd.
CIN No - U26960UP1961SGC002834, Head Office, Kanpur
A-1/4, Lakhanpur, Kanpur-208024
Telephone No-0512-2582851-53(PBX), Fax No.-0512-2580797
Website:- www.onlineupsidc.com

U.P. State Industrial Development Corporation Ltd.

UPSIDA

Regional Office, Agra
UPSIDC
EPIP,Shastripuram
Agra
Tel No. : 0562-2641924
Email ID: rmagra@upsidc.com
Website: www.onlineupsidc.com

Ref.No:SER20200619/4/2422/5453/**SIDC-IA/**EPIP Agra

Date:15/09/2020

To,

Rohit Goyal S/o Shri Amir Chand Goyal
G-1, Paras Pearl Apartment, Khataina Road, Loha Mandi, Agra-282002 (U.P.)

Subject:- Permission for Transfer of Plot No C-73 in the Industrial Area EPIP Agra

Dear Sir/Ma'am,

Please refer to application of SHRI KAMAL KUMARdated 18/07/2020 regarding transfer of above noted plot in your favour to setting up Handicraft Items .

In this connection, we are pleased to permit the aforesaid transfer subject to payment of transfer levy @ 10.00 % of current rate Rs.6600 per square meter on plot area of C-73 in the Industrial Area EPIP Agrawhich is 720 square meter on the following terms and conditions:-

1. You shall clear our total balance dues amounting to Rs. 0 (towards Premium Rs0 Interest of Premium Rs0 , Maintenance Charges Rs0 , Interest on Maintenance Charges Rs0 and Lease Rent Rs.0 ,GST on Lease Rent Rs0, Time Extension Fee Rs. 0, Interest on Time Extension Fee Rs.0) within 30 days from the date of this letter.
2. In case deposits has been made by ex-allottee against the plot, the same will be adjusted first towards Interest and Use and Occupation Charges/Lease Rent upto date of payment and balance if any, towards premium. In case a balance payability is found after adjustment as above, the same shall be payable by you.
3. Ex-allottee shall submit an affidavit to the effect that entire assets/structures whatsoever is existing on the plot, stands duly transferred in your favour and that he shall never claim any amount /compensation etc. in this regard from the Authority/Corporation .You will also have to submit an affidavit in confirmation of transfer of assets/structures in your favour with the clear stipulation that in the event of any dispute in connection with transfer you shall indemnify UPSIDC/UPSIDA against any claim/ litigation arising out of above transfer.
4. The existing allotment/transfer dated 24/09/2007 Agreement dated N/A Possession Memo dated 24/06/2008 and Lease Deed Executed dated31/03/2008 shall be surrendered by ex-allottee in favour of the UPSIDC/UPSIDA along with the possession of above noted plot before execution of fresh lease deed.
5. You will have to submit Non-Judicial Stamp Papers/ Bank Guarantee as per norms purchased from Distt.Treasury, AGRA/ Bank for execution of lease deed of plot within 60 days form the date of this letter.
6. Transfer of vacant and untilized plot shall not be allowed.
7. In case of any demand of Stamp Papers is made in respect of transfer of this plot by Government of U.P. the same shall be borne by you.
8. You may either submit Sale deed for structure situated over the plot or submit additional Stamps/ Bank Guarantee towards the cost of constructions/ machinery on the plot.within 30 days from the date of this letter alongwith stamps as mentioned in above point number 6.
9. **LEASE DEED:-**

   You shall have to get lease deed executed in your favour on new terms & conditions within 60 days from the date of issuance of this letter by submitting stamps mentioned above alongwith other documents. You will have to submit NOC of pollution Control Board for proposed manufacturing item before execution of lease deed.

10. Lease Period shall be allowed to you for the remaining period of orginally allowed lease i.e. 90 years from 27/02/2002

11. **POSSESSION FORM:-**
You will take the possession of the plot just after execution of Lease Deed or latest by 01 month from the date of execution of Lease Deed

12. **BUILDING PLAN APPROVAL:-**
Submit building plan within 1 month form the date of possession. If no building plan is submitted by you within 3 months, the allotment will be cancelled as per rules.

13. You shall establish unit on the plot covering minimum 30% of plot area within a period not exceeding 1 years. Following documents shall have to be submitted as a proof of production :-
    - Udyog Aadhar Showing the plot no and date of stating production
    - GST Registration and Tax Returns/Assessment Orders
    - Meter Sealing Certificate and Electricity Bills of First 3 months.
    - Sale and Purchase Bill of raw material and finished goods for first 3 months along with purchase of Machinery Bills.

14. Allotment /Transfer/ Lease Term shall be liable to be terminated if any of the activities mentioned at 10, 12, 13, and 14 is not executed/ completed within the time stipulated.

15. You shall also deposit within 30 days of date of demand any dues communicated by the UPSIDA from time to time such recurring fee in nature of Service and/ or Maintenance Charges of whatever description (including charges for supply of water, of expenses of maintenance or roads, culverts, drains, parks etc. and other common facilities and services) as may form time to time be determined by Authority/Corporation and in case of default you shall liable to pay interest @ 14 p.a. on the amount due.

16. You shall be liable to pay Lease Rent @Rs2/- per sqm.per year for period of initial 1st 30 years, @Rs.2/- per sqm.per year for the next 30 years after expiry of 1st 30 years and @ Rs2/- per sqm. per year for next after expiry of next 30 years.

17. You shall not be allowed to reconstitute/ change project on/ sublet/ transfer/ subdivide/ amalgamate/ mortgage/ change partners or shareholders without prior approval in writing by this Authority/Corporation. Any such act without due permission may result in cancellation of the allotment /transfer /lease.

18. You shall abide by all the relevant Government rules and norms corresponding to the project you are intending to set up and shall be required to seek necessary permissions before setting up the unit. You shall further indemnify the Authority/Corporation against any such violation/ breach committed by you.

19. The transfer/ allotment / lease shall become null and void in case it is revealed subsequently that the same was obtained by you by submitting false, fictitious and/ or fabricated documents facts.

20. The above offer shall be valid till the expiry date mentioned in the letter or 30 days from date of issue of this letter, whichever is earlier. If after expiry of the offer the applicant requests for extension of offer and the reasons for the default submitted by him/her are found just and proper to the satisfaction of Management and the offer is extended, by UPSIDA interest shall become payable@ 14 % from the date of this letter. However, if the prevailing rate of the alloted area changes or due to passage of time, percentage of levy changes, then the offer can only be renewed on new allotment rates/levy only.

21. You will mention in the postal address or your corresponding letters invariably the name of UPSIDC/UPSIDA Industrial Area EPIP Agra

22. Additional clause/s as mentioned in attached page shall also remain part of terms of transfer & binding on you

Kindly confirm your acceptance in writing to above terms and conditions within 07 days form the date of this letter, failing which this offer shall stand automatically withdrawn.

Your's faithfully,

VINOD KUMAR

(Vinod Kumar)
Regional Manager

Ref. No SER20200619/4/2422/5453 /SIDC-IA EPIP Agra Plot No:- C-73 Dated : 15/09/2020

Copy to following for information and necessary action please:-
1. Incharge (Indl. Area), A-1/4, UPSIDC Complex , Lakhanpur , Kanpur 208024 (U.P.)
2. Deputy Commissioner Industries, District Industries Center, AGRA (U.P.).
3. SHRI KAMAL KUMAR R/o:-10, NEW RAJA KI MANDI, AGRA

(Vinod Kumar)
Regional Manager

GSTIN: 08BCHPJ5974Q1ZO
PAN: BCHPJ5974Q

TAX INVOICE

Gurukripa Handicraft

Mob.: 9783666657
: 9772243144

Plot No.-71, Narayan Nagar, Near Canara Bank, New RIICO, Bagru- Jaipur

Buyer Name: The forsty international
Address: 107 NECAM concaba Budhue Agra
State : Rajasthan State Code : 08
GSTIN: 09ABXPU8132B1Z5

INVOICE No. 35
Invoice Date: 22.08.2022
Challan No: 465

S. No.	Product Descripiton	HSN CODE	Qty	Rate	Amount
1	coster stand 5.2"x4"x2"	4419	2550 Ps	35/-	89250=00
2	plen patti 21x3.5x15mm	4419	940 Ps	55/-	51700=00
3	Choping bord 15x6x15mm	4419	160 Ps	78/-	12480=00
4	Choping bord 3 Hole 15x5x15mm	4419	450 Ps	77/-	34650=00
5	T light 2 Hole 8x4.5x15mm	4419	1000	39/-	39000=00
6	T light 3 Hole 12x4.5x15mm	4419	455	57/-	25935=00

E way Bill No
791278890083

Total Amount Before Tax	253015=00
Add : CGST.......%	—
Add : SGST.......%	—
Add : IGST 12 %	30361=80
R.Off	+ =20
G. Total Amount	283377=00

₹ In words: Two lakh ~~thirty~~ eighty Three thousand Three Hund seventy sev only

Bank Details: Canara Bank
Branch - Bagru
A/c. No. 125000385315
IFSC : CNRB0003563

For : Gurukripa Handicraft

Note :1. Goods once sold will not be taken back.
2. All Subject to Jaipur Jurisdiction only.
3. E.& O.E.

RJ-10-GA 5498

Receiver's Signature

Auth. Signature

...o.: 08ALAPL0266G1ZD   !! Shri !!   Mo.: 9252170374
...Code : 08   Mo.: 8209551004

SHRI SHYAM MARBLE AND HANDICRAFT

Mfg. & Suppliers All Kinds of Marble Slabs, Tiles, Sand Stone, Chips, Crazy & Handicraft Items

Plot No. 98/99, Parswanath Colony, Near Bus Stand, ROOPANGARH (Ajmer) Raj. 305814

TAX INVOICE (Invoice Issued Under GST Rule 7 and Section 31)

M/s. The Ferry International
27/147 Nihal Niketan Ashok Nagar Agra
E Way Bill 701281235485
GSTIN No. 09ABXPG8132B1ZJ   State Code 09

No. 16
Date 31-8-2022
TRUCK No RJ42GA2509
Transport
G. R. No.

S. No.	HSN Code	PARTICULARS	Measurment/Qty.	Rate	AMOUNT Rs.	P.
	6815	Marble Handicraft				
		4.5x1" वाईन कुलर	363 Pcs	230	83490.	00
		Received				
				TOTAL	83490.	00
				ADD : EXPENSES		
				LESS : DISCOUNT		
				SUB TOTAL	83490.	00
				CGST ......%		
				SGST ......%		
				IGST 18 %	15028.	
				G. TOTAL	98518.	00

1. All Subject to KISHANGARH Jurisdiction only.
2. Goods once sold will not be taken back.
3. We are not responsible for any shortage or damage after the goods are despatched.
4. Interest 24% p.a. will be charged if bill is not paid within 7 days.

CASH/CREDIT

SBI BANK ROOPANGARH
OUR BANK IFSC CODE
SBIN0032008
A/C. 39621677014

Rs. अठानवे हजार पांच सौ अठारह रुपये मात्र -

E. & O. E.

For : **SHRI SHYAM MARBLE & HANDICRAFT**

BUYER/PURCHASER SIGN.   *Thanks for Your Visit*   AUTHORISED SIGN.

II SHRI GANESHAYA NAMAHA II

Mo.: 99299-66759
Mo.: 81042-14048

GANPATI MARBLE & HANDICRAFT

SUPP. OF ALL KIND MARBLE TILES, SLABS, KOTA STONE, KHANDA & HANDICRAFTS ITEMS

IInd Phase, Ind. Area, Roopangarh (Distt.-Ajmer) Raj. 305814

GSTN No.: 08ARZPR2873A1Z9 State Code : 08

INVOICE

~~CASH~~/CREDIT ✓

Invoice No. 74
Invoice Date : 13/9/2022
Reverse Charge : No
State : RAJASTHAN State Code : 08

Transport Mode :
Vehicle Number : UP 80 ET 3620
Date & Time of Supply :
Place of Supply :

Details of Receiver / Billed to :

Name: The Ferry International
Address: Neelam enclave 107 bodla Agra
GSTIN: 09ABXPD6781328IZJ, U.P
E-way Bill : State Code : 09

Details of Consignee / Shipped to :

Name :
Address :
GSTIN :
State : State Code :

S.No.	DESCRIPTION OF GOODS	HSN	Qty.	Rate	AMOUNT Rs. Ps.
1.	व्हाइट पिंक पॉट (2.75"x2")	6815	1039 PCS	60	62340-—
2.	कायमपुरा पिंक पॉट (2.75"x2")	6815	760 PCS	60	45600-—
3.	मोरचना पिंक पॉट (2.75"x2")	6815	148 PCS	60	8880-—
4.	ग्रीन स्वरल झरनी फिनिश	6815	112 PCS	200	22400-—

Total Amount	139220-—
Add : Insurance	
Add : Loading	
Add : Packing	
Total Amount Before GST	
Add : CGST @	
Add : SGST @	
Add : IGST @ 18%	25060-—
Grand Total (Inclusive of GST)	164280-—
Round off	
GRAND TOTAL (Inclusive of GST)	
GST Payble on Reverse Charge	

Plz Kindly Deposit Due Payment
BOB BANK ROOPANGARH A/C. 01260200000410
our Bank IFSC Code BARB0ROOPNA

Total Invoice Amount (in Words) एक लाख चौसठ हजार दो सौ अस्सी रुपये मात्र

Terms & Conditions

1. Payment Terms :
2. Duties have been rounded off in terms of section 170 of CGST Act, 2017.
3. Interest will be charged @ 18% p.a. on delayed payment.
4. All due care has be taken to ensure dispatch in good order and condition we take nop responsiblility for lass or damage arising after goods are
5. All Disputes will be subjects to Kishangarh Juristiction.

Ceritified that the particulars given above are true and correct

For : GANPATI MARBLE & HANDICRAFT

Authorised Signatory

ttps://ewaybillgst.gov.in/BillGeneration/EwayBillPrint.aspx?ewb_no=701284031033

GSTIN No.: 08BEPPM6614G2Z6 !! Shree !! Cell : 9636202717 8949371155

S R MARBLE AND HANDICRAFT

Supplier of : Marble, Slabs, Tiles, Crazy & Handicraft Items

Plot No. H-57, Behind Raj Dharm Kanta, RIICO Ind. Area, ROOPANGARH (Raj.) 305814

TAX INVOICE

(Invoice Issued Under GST Rule 7 and Section 31)

Name: The Ferry International

Address: 107 Neelam enclave buddhi bichpuri Road Aghra 282007

PAN No.

GSTIN: 09ABXPG8132BIZJ

Aadhar No.

State: Uttar pardesh State Code: 09

Invoice No.: 11 Date: 13/09/2022

Reverse Charge (Y/N)

State - Rajasthan State Code-08

Truck No.: UP-80 ET 3620

Transport

Container No.

G.R. No. Dt.

E-way Bill No. : 7212 8602 8341

S.No.	DESCRIPTION OF GOODS	H.S.N Code	Qty./ Measurment	Rate	AMOUNT Rs.	P.
1	Morchona candil 2.5x2.5x4.25 inch	6804	408	70	28560	

Total Amount Before Tax :	28560
Add CGST : @ —— %	—
Add SGST : @ —— %	—
Add IGST : @ 18 %	5141
TOTAL AMOUNT : GST	5141
Total Amount After Tax	33701
GST Payable on Reverse Charge	

Total Invoice Amount in Words: Thirty three thousand seven hundred one Rupees only

Bank Details : Bank Name	BARODA RAJ. KSHE. GRAM. BANK
Bank Account Number	48910500000095
Branch	ROOPANGARH
Bank Branch IFSC	BARB0BRGBXX

TERMS & CONDITION :

1. Goods once sold will not be taken back.
2. Interest 24% p.a. will be charged From date of bill.
3. All Subject to ROOPANGARH Jurisdiction only.
4. We are not responsible for any shortage or damage after the goods are despatched.

CASH/CREDIT

Certified that the Particulars given above are true and correct

For : S R MARBLE AND HANDICRAFT

Buyer/Purchaser Sign. Authorised Signature

Original for Receipeint Duplicate for Suplier / Transporter Triplicate for supplier

THANKS FOR YOUR VISIT

E. & O. E.

...: 08BUMPS1534E1ZI
...280063400 State Code : 08

II SHREE II

Mo.: 9929361791
Mo.: 7976228834

RAJ SHREE MARBLE AND HANDICRAFTS

Supp. of All Kind Marble Slabs, Tiles, Sand Stone, Grenite & Handicraft Item etc.
Mordi Choraha, Ind. Area, Roopangarh (Distt.-Ajmer) Raj. 305814

TAX INVOICE (Invoice Issued Under GST Rule 7 and Section 31)

M/s. The Ferry International
27/147 Ashok Nagar AGRA (U.P.)

GSTIN No. 09ABXPG0132B1ZJ State Code 09

E Way Bill 7712 8504 5609

No. 21
Date 17-9-2022
TRUCK No UP-80-ET-3620
cantenar No.
Transport

S. No.	PARTICULARS	HSN	Qty.	Rate	Amount Rs.	P.
1	5X5X12 Teek	2515	5.59	800	4472	—
2.	4X4X12 Teek	2515	4.46	800	3568	—
3.	3X3X12 Teek	2515	2.76	800	2208	—
4.	Tile 15X15X2" 12X12X2 J Teek	2515	13.28	900	11952	—
5.	Kayamfera 1.25X1.25X5.25	2515	1020	5	5100	—
6.	Tile 12X12X1.5 15X15X1.5 Bheslana	2515	4.40	1600	7040	—
		2515	0.87	1400	1218	—
7.	Tile 15X15X1.5 Bidaser	2515	0.77	1250	963	—
8.	Bote Bidaser 3.25X12	2515	2.63	1500	3945	—
9	Bheslana Bote 4X4	2515	2.57	1500	3855	—
10	Bheslana Bote 5X5	2515	2.85	850	2423	—
11	Tile Kayamfera + Pink + Green 12X9X1.5					
				TOTAL	46744	—

1. All Subject to KISHANGARH Jurisdiction only.
2. Goods once sold will not be taken back.
3. We are not responsible for any shortage or damage after the goods are despatched.
4. Interest 24% p.a. will be charged if bill is not paid within 7 days.

CASH/CREDIT

CGST ....%	—	
SGST ....%	—	
IGST 18 %	8414	—
TOTAL GST		
TOTAL AMOUNT	55158	—
GST PAYBLE ON REVERSE CHARGE		

Plz Kindly Deposit Due Payment — Bank Of Baroda ROOPANGARH A/c. 43130200000112 Our Bank IFSC Code BARB0ROOPNA

Rs. Fivety Five Thousand One Hundred Fivety eight Only

E. & O. E.

For : RAJ SHREE MARBLE AND HANDICRAFTS

BUYER/PURCHASER SIGN.

Thanks for Your Visit

AUTHORISED SIGN.

Tax Invoice *(ORIGINAL FOR RECIPIENT)*

..TU SHREE IMPEX
..nhar Colony, Near Riico Indl. Area, Bagru,
Jaipur - 303007
GSTIN/UIN: 08AIKPM0435D1ZJ
State Name : Rajasthan, Code : 08
E-Mail : matushreeimpexakm@yahoo.co.in

Buyer (Bill to)
THE FERRY INTERNATIONAL
107,NEELAM ENCLAVE,BODLA BICHPURI ROAD,
AGRA (U.P.) 282007
GSTIN/UIN : 09ABXPG8132B1ZJ
State Name : Uttar Pradesh, Code : 09

Invoice No. **66/2022-23**	e-Way Bill No. **7412 8396 6019**	Dated **13-Sep-22**
Delivery Note		Mode/Terms of Payment
Reference No. & Date.		Other References
Buyer's Order No.		Dated
Dispatch Doc No. **4078**		Delivery Note Date
Dispatched through **MAA DURGA TRANSPORT COMPANY**		Destination **AGRA (U.P.)**
Bill of Lading/LR-RR No.		Motor Vehicle No. **UP80ET3170**
Terms of Delivery		

Sl No.	Description of Goods	HSN/SAC	Quantity	Rate	per	Amount
1	**WDN/KT-16964- ROD 10.25X1.25X1.25**	4419	**10,000 pcs**	25.00	pcs	**2,50,000.00**
	OUTPUT IGST @12%			12	%	**30,000.00**
	Total		**10,000 pcs**			**₹ 2,80,000.00**

Amount Chargeable (in words) E. & O.E
Indian Rupees Two Lakh Eighty Thousand Only

HSN/SAC	Taxable Value	Integrated Tax Rate	Integrated Tax Amount	Total Tax Amount
4419	2,50,000.00	12%	30,000.00	30,000.00
Total	**2,50,000.00**		**30,000.00**	**30,000.00**

Tax Amount (in words) : **Indian Rupees Thirty Thousand Only**

Remarks:
TAX. INV NO. 66/2022-23 DATE 13.09.2022 QTY.- 10000 PCS.
EWAY BILL NO.7412 8396 6019

Company's PAN : **AIKPM0435D**

Declaration
We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

Company's Bank Details
Bank Name : **BANK OF BARODA**
A/c No. : **25040200000744**
Branch & IFS Code : **BAGRU & BARB0BAGJAI**

For MATU SHREE IMPEX
Authorised Signatory
Proprietor

SUBJECT TO JAIPUR JURISDICTION

This is a Computer Generated Invoice

Tax Invoice

[RA]VI MARBLE & HANDICRAFT [..] SANJU MARBLE AND HANDICAFT RANABAI MARBLE KE PASS IND. AREA ROOPANGARH AJMER 305814 GSTN/UIN: 08MWSPS6048E1ZM State Name : Rajasthan, Code : 08	Invoice No. 17	Dated 22-SEP-2022
	Delivery Note	Mode/Terms of Payment
	Supplier's Ref. 17	Other Reference(s)
Buyer **THE FERRY INTERNATIONAL** **29/60, RAJA KI MANDI** **NEAR RAILWAYGATE** **AGRA, UTTAR PRADESH,282002** **GSTIN/UIN : 09ABXPG8132B1ZJ** **STATE NAME :UTTAR PRADESH , CODE : 09**	Buyer's Order No.	Dated
	Despatch Document No. UP80ET3620	Delivery Note Date
	Despatched through	Destination
	Terms of Delivery	

Sl No.	Description of Goods	HSN/SAC	Quantity	Rate	per	Amount
1	**BANSWARA ROD GROUP**	6804	140.00PCS	110.00	PCS	15400.00
2	**KAYMPURA BOWL**	6804	360.00PCS	85.00	PCS	30600.00
3	**MORCHANA BOWL**	6804	920.00PCS	85.00	PCS	78200.00
4	**BANSWARA BOWL**	6804	480.00	85.00	PCS	40800.00
5	**MORCHANA BOX MEDIUM**	6804	225.00	70.00	PCS	15750.00
						180750.00
	IGST					32535.00
	ROUND OFF					+0.00
	Total		2125.00 PCS			**₹213285.00**

Amount Chargeable (in words) *E. & O.E*

INR TWO LAC THIRTEEN THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY FIVE RUPEES ONLY

HSN/SAC	Taxable Value	Integrated Tax		Total Tax Amount
		Rate	Amount	
6804	180750.00	18%	32535.00	32535.00
Total	180750.00		32535.00	32535.00

Tax Amount (in words) : **INR THIRTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY FIVE RUPEES ONLY**

Declaration

We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

For RAVI MARBLE

Authorised Signatory

This is a Computer Generated Invoice

No.: 08CVDPK5873R1ZN !! Shri Ganeshaya Namaha !! Mo.: 94146-69613

State Code : 08

SHREE RAM MARBLE & HANDICRAFT

Suppliers of All Kinds of Marble Slabs, Tiles, Sand Stone, Granite & Handieraft Item etc.

Kh. No. 1047, Plot No. 12, IInd Phase, Ind. Area, ROOPANGARH (Ajmer) Raj. 305814

TAX INVOICE (Invoice Issued Under GST Rule 7 and Section 31)

M/s. THE FERRY INTERNATIONAL 27/147 NIHAL NIKETAN ASHOK NAGAR AGRA (U.P.)

No. 19

Date 3-8-2022

E Way Bill

TRUCK No UP80ET3620

Transport

GSTIN No. 09ABXPG8132B1ZJ State Code

G. R. No.

S. No.	HSN Code	PARTICULARS	Measurment/Qty.	Rate	AMOUNT Rs.	P.
–	6804	B/W Thali 12×12×2	50 Pcs	510	25500	–
				TOTAL	25500	–
				ADD : EXPENSES	–	
				LESS : DISCOUNT	–	
				SUB TOTAL	25500	–
				CGST ......%	–	
				SGST ......%	–	
				IGST 18%	4590	–
				G. TOTAL	30090	–

1. All Subject to KISHANGARH Jurisdiction only.
2. Goods once sold will not be taken back.
3. We are not responsible for any shortage or damage after the goods are despatched.
4. Interest will be charged 24% p.a. from date of bill.

CASH/CREDIT

BOB BANK SURSURA
our Bank IFSC Code
BARB0SURSUR
A/C. 43130500000147

Rs. Thirty Thousand Ninty Rs Only

E. & O. E.

For : **SHREE RAM MARBLE & HANDICRAFT**

BUYER/PURCHASER SIGN. *Thanks for Your Visit* AUTHORISED SIGN.

TAX INVOICE

RIDDHI SIDDHI EXPORTS
F-229 AMBAJI INDUSTRIAL AREA
ABUROAD 307026, DIST- SIROHI, RAJASTHAN
GSTIN No 08ABLPA5314R1ZC

Bill to **The Ferry International** **107,NEELAM** ENCLAVE,BICHPURI **Agra (UP)** **GSTIN** No:-09ABXPG8132B1ZJ	**Place of Supply** RJ-14-GP-0451	**INVOICE No** RSE/22-23/031	**Dated** **05-Jul-22**

Description of Goods	HSN CODE	QTY	Units	RATE	Amount
MARBLE ARTICLES HANDICRAFT					
CRACKER DISH B WHITE	**6802**	**1255**	**PCS**	**155**	**194525**
RAW MATERIAL BLACK 4.25X4.25X7	2515	1100	PCS	95	104500
TAXABLE AMOUNT					299025
IGST 18 %					53824.5
Total					**352849.50**

Amount Chargeable (in words)
THREE LAKH FIFTY TWO THOUSAND EIGHTY HUNDRED FOURTY NINE RS FIFTY PAISE ONLY

Company's PAN: ABLPA5314R

Note-Please make cheques in favor of **"RIDDHI SIDDHI EXPORTS"**

RIDDHI SIDDHI EXPORT

Authorised Signatory

Annex - 9

(27)

Court no. 29

Civil Misc. Writ Petition No. 34957 of 2003
Smt. Mithlesh Jain vs. State of U.P. and others.

Hon'ble M. Katju, J.
Hon'ble R.S. Tripathi, J.

Standing Counsel and Sri Pankaj Mittal may file counter affidavit within three weeks.

Issue notice to respondent no. 4 returnable at an early date.

The point raised in this writ petition is of great importance throughout the State of U.P. and perhaps in many other States as well. The grievance of the petitioner is that commercial activities are being permitted in the residential area of Agra.

We have had occasion to deal with such kinds of complaints in earlier petitions which came up before us. For example in R.K. Mittal vs. State of U.P. and others 2002 (1) UPLBEC 444 we have held that no commercial and industrial activity can be carried out in the areas earmarked for residential purpose in the NOIDA Master Plan. We are informed that in a large number of cities e.g. Lucknow, Agra, Kanpur etc. commercial and industrial activities are being carried on in the areas earmarked for residential purposes in the Master Plan of that city. In our opinion this is wholly illegal. The rules have to be followed, otherwise the rule of law will collapse in the country. If there are rules they must be obeyed, otherwise the rule should be scrapped. We have held in R.K. Mittal vs. State of U.P. (Supra) that there is a widespread malady which has infected our society, namely, that the people who are having money and power think that they are above the law. This notion is totally destructive of the Rule of the Law and can no longer be tolerated by this Court. Everyone is under the Law.

In the present petition it has been stated in paragraphs 5 and 6 that in the residential area a shopping complex is being constructed and other commercial activities are proposed. In our opinion this is clearly illegal. We, therefore, direct that no commercial or industrial activity will be allowed to be carried on in the area earmarked for residential purpose in the Master Plan of Agra or of in any other city in U.P. If commercial

and industrial activities are being carried on in any city in U.P. in the areas earmarked for residential purposes in the Master Plan of that city such activity must immediately be stopped by the authorities.

Although this petition was only regarding Agra city we have decided to extend its scope suo motu to other cities in U.P. because we are informed that similar illegalities are being committed there too.

Let a copy of this order be sent by the Registrar General of this Court to the Chief Secretary, U.P. forthwith who will ensure compliance of this order. Learned Standing Counsel shall also send a copy of this order to the Chief Secretary, U.P.

Let a copy of this order be given to the learned Standing Counsel today free of charges.

Sd/- M. Katju

Sd/- R.S. Tripathi

Aks/ Dt: 13.8.2003

TRUE COPY

Copying "L" Section

High Court, Allahabad

13/8/03

Annex-10

(28)

शीर्षप्राथमिकता / कोर्ट केस अनुपालन
संख्या–सी.एस.–89 / 9–आ–3–2003–62रिट / 2003

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2–उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
3–नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ: दिनाँक: 5 सितम्बर, 2003

विषय: महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में रिट याचिका संख्या–34957 / 2003 श्रीमती मिथिलेश जैन (आगरा) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनाँक 13.8.2003 को दिए गये निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल रोकने हेतु निर्देशित किया गया है।

2– उक्त सम्बंध में मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी अभिकरणों को इस आशय से निर्देशित किया जाता है कि वे महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त सम्बंध में सभी अभिकरणों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रभावपूर्ण ढंग से उपर्युक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु, तीन माह का एक समयबद्ध सघन अभियान चलायेंगे।

कृपया उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
5.09.03
(जे.एस.मिश्र)
सचिव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(29)

<u>शीर्षप्राथमिकता/ कोर्ट केस अनुपालन</u>

संख्या–सी.एस.–89(1)/ 9–आ–3–2003–62रिट/ 2003

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2–उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3–नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉकः 10 नवम्बर, 2003

विषयः महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में रिट याचिका संख्या–34957/ 2003 श्रीमती मिथिलेश जैन (आगरा) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनॉक 13.8.2003 को दिए गये निर्णय मे मा0 न्यायालय द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल रोकने हेतु आदेश दिया गया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु शासनादेश संख्या–सी.एस.–89/ 9–आ–3–2003– 65रिट/ 2003 दिनॉक 5 सितम्बर, 2003 प्रख्यापित किया गया है।

2– मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विकास प्राधिकरणों/ विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया जाता है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना/ जोनल डेवलपमेंट प्लान/ सेक्टर प्लान/ ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/ स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा नियम विरूद्ध उपयोग/ निर्माण कार्य को उसके प्रारम्भिक चरण में ही तत्काल रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– यह भी उल्लेखनीय है कि नियोजित रूप से <u>विकसित कालोनियों व भवन</u>/ भवन के अवैध उपयोग के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–2444/ 9–आ–3–2001, दिनांक 15 मई, 2001 तथा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण व अवैध निर्माण के विरूद्ध समयबद्ध व प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु शासनादेश संख्या– 2932/ 9–आ–1–2003, दिनांक 04–4–2003 द्वारा आवास एवं

क्रमशः...2/

\\Avas3\venod-1(nishant)(374)

विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। शासनादेश दिनांक 04–4–2003 में महायोजना/ ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग के विपरीत किये गये निर्माण कार्य के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रक्रिया भी निर्धारित की गयी है। कृपया उक्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– उपर्युक्तानुसार कार्यवाहीकरने हेतु सभी प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र, अपने क्षेत्र को विभिन्न जोन्स में बांटकर, प्रत्येक जोन हेतु एक स्पेशल यूनिट (सेल) का गठन करेंगे जिनके द्वारा प्रभावी निगरानी/ निरीक्षण कर प्रत्येक माह में अपनी रिपोर्ट सम्बंधित प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

5– उक्त कार्यवाही में सम्बंधित जोन की स्पेशल इकाई के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा तथा उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता का समस्त उत्तरदायित्व उक्त इकाई के प्रभारी अधिकारी का होगा।

6– मा0 न्यायालय के आदेश के नियमानुसार प्रभावी अनुपालन हेतु सभी विकास प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एक समयबद्ध अभियान चलाकर, उक्त अभियान की कार्यवाही की आख्या सम्बंधित अभिकरण के प्रभारी अधिकारी को सौंपेंगे तथा समेकित अनुपालन आख्या शासन को प्रत्येक तीन माह में प्रेषित की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अखण्ड प्रताप सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

1– श्री ओ0एन0 खण्डेलवाल, एच0जे0एस0 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या–पी0एस0(आर0जी0)/ 140/ 2003 दिनॉक 14.8.2003 के संदर्भ में शासनादेश दिनॉक 5 सितम्बर, 2003 की प्रति के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3– अधिशाषी निदेशक आवास बन्धु उत्तर प्रदेश

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे.एस.मिश्र)
सचिव।